

पत्रावली पेश हुई उपर्युक्त रूपस्थित

पत्रावली पेश हुई उपर्युक्त रूपस्थित है/पीठार

होने/अन्य पत्रावली के कार्य में व्यस्त होने/वार एसोसिएशन की प्रार्थना से

पत्रावली वारसे 27/5/21

दिनांक 18/5/21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई उपर्युक्त रूपस्थित है/पीठार

होने/अन्य पत्रावली के कार्य में व्यस्त होने/वार एसोसिएशन की प्रार्थना से

पत्रावली वारसे 27/5/21

दिनांक 22/6/21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई उपर्युक्त रूपस्थित है/पीठार

होने/अन्य पत्रावली के कार्य में व्यस्त होने/वार एसोसिएशन की प्रार्थना से

पत्रावली वारसे 27/5/21

दिनांक 27/7/21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई विपक्षी बाबजूद सूचना के उपर्युक्त नदी विपक्षी 2 सरकार जिसकी ओर से पंरीकार उपर्युक्त विपक्षी 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया प्राचीन अधिकार की बहस सुनी गई प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर 670/329 रुबा 0.04 रु घुमि प्राचीनों के नाम दर्ज है इस आधारी मा.सं. से विपक्षी का कोई लेना-देना नहीं है प्राचीन प्रयम हुंदा प्रकरण होकर सुविधा संतुलन प्राचीनों के पक्ष में हो अगर



क्र.सं. 100/20 (2020/00179)

विपक्षी क्रमांक 1 प्रार्थीगण को बेदखल करे या उक्त
भूमि में पूर्व निर्मित पुर्वजों की समाधीयों को हस्त करे
तो प्रार्थी को अपने हित होने की संभावना है तीनों
किन्तु प्रार्थीगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में प्रार्थना-
पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा-212 RTA स्वीकार किया जा कर आदेश दिया
जाता है कि गाँव जगपुरा के आराजी नम्बर 670/329
रकबा 0.04 हेक्टर भूमि से प्रार्थीगण को नजायस
परेशान एवं दखलादांजी न तो स्वयं करे ना अन्य से
करावे तथा प्रार्थीगण को उन के कब्जे से जबरन
तकाल के बल पर बेदखल न तो स्वयं ना अन्य से
करावे ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे। मौजे
की यथा स्थिति बनाये रखे उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा
बल्कि प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण क्रमांक 1 के मूखवाद
के निस्तारण तक जारी की जाती है। पत्रावली उंसल
शुमार ही कर नम्बर से कम है।

[Signature]

सहायक बरसक्टर (उपरखण्ड अधिकारी)
रावपुर (मौलवाडा)

27

21